



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ललितपुर

पत्रांक: ————— / डी0एल0एस0ए0 / ललितपुर

दिनांक: 16.09.2026

आदेश

माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार निःशुल्क एवं प्रभावी विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने तथा जिला कारागार, ललितपुर में निरुद्ध बंदियों की विधिक समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ललितपुर द्वारा नामित पैनल लॉयर्स की जेल विजिट हेतु निम्नानुसार साप्ताहिक ड्यूटी निर्धारित की जाती है।

जेल विजिट ड्यूटी चार्ट

क्रमांक	दिवस	नामित पैनल लॉयर
1	सोमवार	1 श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, 2 श्री अनिल यादव, 3 श्री कुलदीप श्रीवास्तव, 4 श्री रामलखन यादव
2	मंगलवार	1. श्री नरेन्द्र कुमार, 2 श्री असरफ खान, 3 श्री विजय नारायण गोस्वामी, 4 श्री रोहित कुशवाहा
3	बुधवार	1 श्री शशिकान्त, 2 श्री पुष्पेन्द्र सिंह चौहान, 3 श्री स्वतंत्र व्यास, 4 श्री आकाश कुमार
4	गुरुवार	1 श्री रविन्द्र प्रताप सिंह, 2 श्री शेरसिंह यादव, 3 श्री विजय कुमार सिंह, 4 श्रीमती निधि सहरिया

ड्यूटी के संबंध में निर्देश

- नामित पैनल लॉयर्स प्रत्येक सप्ताह अपने निर्धारित दिवस को जिला कारागार, ललितपुर में जेल विजिट हेतु उपस्थित होंगे।
- जेल विजिट का निर्धारित समय अपराह्न 03:00 बजे से 05:00 बजे तक रहेगा। अपरिहार्य प्रशासनिक/कारागार संबंधी परिस्थितियों में कारागार प्रशासन द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आवश्यक समन्वय किया जायेगा।
- जेल विजिट के दौरान पैनल लॉयर द्वारा कारागार में निरुद्ध बंदियों से संपर्क कर उनकी विधिक समस्याओं, लंबितवादों, जमानत, अपील, विधिक प्रतिनिधित्व तथा अन्य विधिक सहायता संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की जायेगी।
- ऐसे बंदी जिन्हें विधिक सहायता की आवश्यकता हो तथा जो नियमानुसार निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र हों, उनके प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रत्येक नामित पैनल लॉयर द्वारा जेल विजिट पूर्ण किये जाने के उपरान्त उसी दिन अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक अपनी जेल विजिट की संक्षिप्त रिपोर्ट सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ललितपुर के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।
- जेल विजिट रिपोर्ट में कम से कम निम्न विवरण अंकित किया जाना अपेक्षित होगा—
 - जेल विजिट की दिनांक एवं समय;

- संपर्क किये गये बंदियों की संख्या;
 - विधिक सहायता की आवश्यकता वाले बंदियों का विवरण;
 - जमानत/अपील/विधिक प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रकरण;
 - प्राप्त शिकायत/समस्या का संक्षिप्त विवरण;
 - की गयी कार्यवाही;
 - किसी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख।
7. यदि किसी पैनल लॉयर के लिए निर्धारित दिवस पर जेल विजिट करना **अपरिहार्य कारण से संभव न हो**, तो उनके द्वारा यथासंभव पूर्व में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ललितपुर को इसकी सूचना दी जायेगी, ताकि वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके।
8. **बिना पूर्व सूचना के निर्धारित जेल विजिट से अनुपस्थित रहना अथवा लगातार निर्धारित दायित्व का निर्वहन न करना गंभीरता से लिया जायेगा** तथा ऐसी स्थिति में संबंधित पैनल लॉयर से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

2

9. पैनल लॉयर्स जेल विजिट के दौरान **कारागार की सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश संबंधी नियमों तथा अधीक्षक, जिला कारागार द्वारा निर्धारित निर्देशों का पूर्णतः पालन** करेंगे।
10. नामित पैनल लॉयर यह सुनिश्चित करेंगे कि जेल विजिट के दौरान बंदियों के साथ **शालीनतापूर्वक एवं विधिक सेवा के उद्देश्यों के अनुरूप व्यवहार** किया जाये तथा बंदियों द्वारा बतायी गयी विधिक समस्याओं को यथासंभव संवेदनशीलता एवं गोपनीयता के साथ लिया जाये।
11. **अधीक्षक, जिला कारागार, ललितपुर** से अपेक्षा की जाती है कि निर्धारित दिवस पर नामित पैनल लॉयर्स को जेल विजिट एवं बंदियों से विधिक सहायता के संबंध में आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
12. यह ड्यूटी व्यवस्था **अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी** तथा आवश्यकता के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकेगा।
13. उक्त आदेश का अनुपालन संबंधित समस्त पैनल लॉयर्स द्वारा **कड़ाई से सुनिश्चित** किया जाये।
14. **माह-वार चक्रीय पद्धति से रिमाण्ड ड्यूटी हेतु व्यवस्था –**
 अ. न्यायालय में **प्रत्येक शनिवार, रविवार एवं अन्य घोषित सार्वजनिक अवकाश के दिवस में रिमाण्ड / जमानत** एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्य हेतु पैनल अधिवक्ताओं की रिमाण्ड ड्यूटी लगायी जाती है।
 ब. इस हेतु जेल विजिट के लिए निर्धारित 4 समूहों को सीरियल नम्बर के क्रम में प्रत्येक माह के लिए नामित किया जाता है। संबंधित माह में पड़ने वाले समस्त अवकाश दिवसों में उसी माह हेतु नामित समूह के पैनल अधिवक्ता रिमाण्ड ड्यूटी हेतु उत्तरदायी होंगे।

माह	रिमाण्ड ड्यूटी नामित समूह	पैनल अधिवक्तागण का नाम
सितम्बर 2026	समूह-1 (सोमवार वाला समूह)	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, श्री अनिल यादव, श्री कुलदीप श्रीवास्तव श्री रामलखन यादव
अक्टूबर 2026	समूह-2 (मंगलवार वाला समूह)	श्री नरेन्द्र कुमार, श्री असरफ खान, श्री विजय नारायण गोस्वामी, श्री रोहित कुशवाहा
नवम्बर 2026	समूह-3 (बुधवार वाला समूह)	श्री शशिकान्त, श्री पुष्पेन्द्र सिंह चौहान, श्री स्वतंत्र व्यास, श्री आकाश कुमार
दिसम्बर 2026	समूह-4 (गुरुवार वाला समूह)	श्री रविन्द्र प्रताप सिंह, श्री शेरसिंह यादव, श्री विजय कुमार सिंह, श्रीमती निधि सहरिया

नोट — इस माह में पड़ने वाले समस्त शनिवार, रविवार एवं घोषित सार्वजनिक अवकाश के दिनों में उसी माह हेतु नामित समूह रिमाण्ड ड्यूटी करेगा।

स. यह चक्रीय क्रम माह-वार अगले आदेश तक चलता रहेगा, संशोधन किये जाने पर पृथक से सूचित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(देवप्रिय सारस्वत)

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
ललितपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय ललितपुर को सादर सूचनार्थ।
2. अधीक्षक, जिला कारागार, ललितपुर को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित दिवसों पर नामित पैनल लॉयर्स को जेल विजिट एवं बंदियों से विधिक सहायता संबंधी कार्य हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
3. समस्त संबंधित पैनल लॉयर्स को अनुपालनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
ललितपुर।

